जिला सूचना कार्यालय, बहराइच।

50 माईक्रान से कम की पालीथीन उपयोग पर होगी कार्रवाई

दिनांक :– 12-07-2018

बहराइच। शासन के निर्देश पर 15 जुलाई 2018 से प्लास्टिक थैली व कैरी बैग्स के प्रयोग को पूर्णतयः प्रतिबन्धित कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए अधि.अधि. नगर पालिका परिषद बहराइच ने सभी सम्बन्धितों से अपील की है कि 50 माईक्रान से नीचे की प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतयः बन्द कर दें। यदि किसी दुकान विक्रेता/थोक विक्रेता के पास प्लास्टिक थैली व कैरी बैग्स बेचते हुए पाया जाता है तो सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि 50 माइक्रान से कम की पालीथीन का प्रयोग बन्द करते हुए इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

::

मोबाइल नम्बर 9453005402, दूरभाष नम्बर–05252 2329901, ई–मेल आईडी– **dio.bahraich@gmail.com**